यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–ई–3–1786 /दस–2010 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन
प्रभाग द्वारा मूल्यांकित आगणन।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या– 80 1 (1)/26–ब0प्र0–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, कैसरबाग,लखनऊ।
4– प्रबंध निदेशक,उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7–राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
8– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या– 801 /26–ब0प्र0–2010–10(59)/2008

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ :दिनांक 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में आई0टी0आई0 बक्सी का तालाब ,लखनऊ के तीनों छात्रावासों के जीर्णोद्धार एवं फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1517/स0क0/शिक्षा/आई0टी0आई0/ 2010, दिनांक 01–7–2010 एवं संख्या–1722/स0क0/शिक्षा/आई0टी0आई0/2010, दिनांक 22–7–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में आई0टी0आई0 बक्सी का तालाब ,लखनऊ के तीनों छात्रावासों में समस्त फर्श कोटा स्टोन, शौचालयों में छत स्तर तक ग्लेज टाइल्स का कार्य तथा कमरों एवं भोजनालयों में फर्नीचर आदि के कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 249.00 लाख का परीक्षण प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराये जाने के उपरांत उनके द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 205.06 लाख के आगणन पर प्रशासकीय अनुमोदन के साथ रू0 2,05,06,000/–(रूपये दो करोड़ पांच लाख छः हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आहरित कर निर्माण इकाई उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य कराये जाने के पूर्व सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(3) प्रायोजना के अंतर्गत पुराने निर्मित छात्रावास में भागीदारी भवन हेतु अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप सुसज्जित किये जाने से संबंधित समस्त कार्य मदें प्रोप्राइटरी प्रकृति के हैं। प्रोप्राइटरी प्रकृति से संबंधित कार्य मदों की लागत का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(4) प्रभाग द्वारा वित्त विभाग के निर्णयानुसार वाट आऊट आइटम पर कन्टीजेन्सी तथा सेन्टेज चार्जेज अनुमन्य नहीं किया गया है।

2– उपर्युक्त योजना/कार्य मदों पर होंने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक– 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनागत–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–09– राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।